



झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2014 को आर० सी० एच० कॉन्फ्रेंस हॉल, नामकुम, राँची में राज्य स्तरीय मातृत्व स्वास्थ्य समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस समीक्षात्मक कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में जिलों से आये सिविल सर्जन, तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता डा० ए० के० चौधरी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड द्वारा की गई। उन्होंने समीक्षा करते हुए JSSK मद में अनुमोदित राशि को खर्च करने हेतु दिए गए अनुदेश के अनुरूप पालन करने को कहा। सभी जिलों को प्रत्येक माह जिला में हो रहे मातृ मृत्यु संबंधित समीक्षात्मक बैठक सिविल सर्जन की अध्यक्षता में करने तथा प्रत्येक तीन माह में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक करने का निर्देश दिया गया। सभी मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग HMIS में करने का सख्त निर्देश दिया गया।

समीक्षात्मक कार्यशाला में भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री विपिन गर्ग ने भी भाग लिया। भारत सरकार के नये Revised guideline के अनुसार गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे माह में और डिलीवरी के बाद भी छह माह तक Iron की एक गोली गर्भवती महिला को नाश्ते या दिन के खाने के बाद एक बार लेने का निर्देश दिया गया। अगर महिला ऐनिमिक हो तो प्रतिदिन उसे Iron की गोली एक नाश्ते के बाद और एक रात के खाने के बाद लेनी है। गर्भवती महिला को Iron की गोली, चाय, कॉफी, दूध या दूध से बनी चीजों के साथ नहीं लेनी है। Iron तथा Calcium की गोली एक साथ नहीं लेनी है।

प्रसव के उपरांत महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में 1400/- और शहरी क्षेत्रों में 1000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि बैंक के माध्यम से दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के बैंक खाता नहीं रहने के कारण, प्रोत्साहन राशि के भुगतान में बहुत बड़ा backlog है। श्री विपिन गर्ग ने सभी गर्भवती महिलाओं को हर हाल में बैंक खाता खुलवाने की सलाह दिया। गर्भाधारण का पता चलने पर टेटनस की सूई के साथ ही बैंक खाता खुलवाना है। सभी जिला के सिविल सर्जन को 15 जनवरी 2015 तक backlog समाप्त करने का निर्देश दिया गया। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिला को राशि शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष बजट में कटौती कर दी जाती है।

नोडल ऑफिसर
आई० ई० सी० कोषांग